

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

<b>प्रार्थी</b> 1. मनूराम पुत्र हरदानराम जाति मेघवाल निवासी तहसील सेड़वा।	<b>बनाम</b>	<b>विप्रार्थीगण</b> 1. रामचंद्र पुत्र काछबा 2. वीरा पुत्र काछबा 3. सरवण पुत्र काछबा 4. सिलोका पुत्र हरजी 5. अमरी पत्नि किस्तुरा 6. धूडी पत्नि साजन 7. बखता पुत्र किस्तुरा 8. लीला पुत्री भूराराम जाति मेघवाल निवासी दीपला तहसील सेड़वा।
--	-------------	--


**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत।**  
 राजस्व आवेदन संख्या 75 / 2022 दिनांक : 03.06.2022

### आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र जानपालिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सारला के मौजा दीपला के खेत खसरा संख्या 76 रकबा 34.03 बीघा किस्म बारानी सोयम के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।




  
 (रामजी सिंह कलबी)  
 उपखण्ड अधिकारी  
 (SDO) सेड़वा

दिनांक: 03/06/22

संख्यांक/मू.अ./2022/ 527-32  
 प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थी मनूराम पुत्र हरदानराम।
3. विप्रार्थीगण रामचंद्र पुत्र काछबा वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना।



  
 उपखण्ड अधिकारी  
 उपखण्ड अधिकारी  
 (SDO) सेड़वा

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 75/2022 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

### मनुराम बनाम रामचंद्र वगैरा

पीठासीन अधिकारी - श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्राधी वकील - ज्येष्ठ कुमार

निर्णय

दिनांक - 03.06.2022


प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्राधी ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि मैं तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र जानपालिया भू अभिलेख निरीक्षक सारला के मौजा दीपला के खेत खसरा संख्या 76 रकबा 34.03 बीघा किस्म बरानी सोयम स्थित है। प्राधी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्राधी के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काशत अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्राधी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्राधी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्राधी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्राधी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्राधी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्राधी के वक्त काशत प्राधी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्राधी अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्राधी विवादित भूमि के खातेदार काशतकार राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज होने के कारण प्राधी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्राधी का प्रार्थना पत्र स्वीकार की तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र जानपालिया भू अभिलेख निरीक्षक सारला के मौजा दीपला के खेत खसरा संख्या 76 रकबा 34.03 बीघा किस्म बरानी सोयम की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षों के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काशत में परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्राधी के खसराओं की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।  
निर्णय आज दिनांक 03.06.2022 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।



  
(रामजी भाई कलबी)  
उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा  
(SBO) सेड़वा